शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / पुस्तकालय / 2012 / 1048 भोपाल,दिनांक 28.1.12

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र
समस्त जिले (म0प्र0)

विषयः—शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में स्टील बुक केस प्रदाय बाबत्।

राजा राममोहन राय पुस्तकालय मैचिंग स्कीम वर्ष 2011—12 के तहत राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकता और राज्य शिक्षा केन्द्र के सहयोग से शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में पुस्तकालय विकसित करने के उद्देश्य से राज्य पुस्तकालय समिति की बैठक दिनांक 1.12.2011 में प्रदेश की 350 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं हेतु प्रति शाला 02 STEEL BOOK CASE के क्रय की सहमति दी गई है। तदनुसार प्रत्येक जिले के 07 शासकीय प्राथमिक / माध्यमिक शालाओं के लिए जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय द्वारा 14 STEEL BOOK CASE क्रय की कार्रवाई सर्वशिक्षा अभियान की वित्तीय नियमावली का पालन करते हुए की जानी है। क्रय की जा रही STEEL BOOK CASE इस वर्ष के लिए राजा राममोहनराय पुस्तकालय मैचिंग स्कीम के तहत पुस्तकालयों हेतु उपलब्ध कराई जा रही पुस्तकों के व्यवस्थित रखरखाव के उपयोगार्थ होगी। क्रय की जाने वाली प्रति STEEL BOOK CASE की कीमत नियमानुसार टैक्स को छोड़कर 4700 / —रूपये से अधिक की न हो।

नियम व शर्ते :—

- उक्त STEEL BOOK CASE का वितरण ऐसी शास. प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में किया जाए जहॉ एक ही परिसर में प्राथमिक व माध्यमिक शाला संचालित हो तथा राजा राममोहनराय पुस्तकालय की मैंचिंग स्कीम के तहत पुस्तकालय विकसित किया गया हो। ऐसी 07 शालाओं को चिन्हांकित किया जाकर प्रत्येक शाला में 02 STEEL BOOK CASE प्रदाय की जाए।

- जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय में 14 STEEL BOOK CASE का प्रदाय क्रय आदेश दिनांक से 10 दिवस के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा। सामग्री का जिला क्रय समिति से सत्यापन उपरांत शाला पर सामग्री प्रदाय करने का दायित्व भी प्रदायकर्ता का होगा। उक्त सामग्री जिला शिक्षा केन्द्र व शाला तक पहुँचाने के लिए पृथक से कोई व्यय भार लोडिंग/ अनलोडिंग या अन्य किसी प्रकार का व्यय देय नहीं होगा।
- क्रय सामग्री पर नियमानुसार टेक्स देय होगा।
- गर्त वर्ष 2010–11 में जिन विद्यालयों को STEEL BOOK CASE दिये गये हैं उन्हें इस वर्ष नहीं दिये जाए।
- निर्धारित समयावधि में सामग्री प्रदाय न करने की स्थिति में उक्त क्रय आदेश निरस्त समझा जाएगा।
- क्षतिग्रस्त सामग्री को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सामग्री विलम्ब से प्रदाय करने की स्थिति में सामग्री की वास्तविक देय राशि से 05 प्रतिशत जुर्माने के रूप में देयक से कटोत्रा कर भुगतान की कार्रवाई की जावेगी।
- देयक तीन प्रतियों में प्रस्तुत किये जायेंगें। देयक में क्रय आदेश व दिनांक का स्पष्ट उल्लेख हो तथा देयक राजा राममोहनराय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकता के नाम से देय होगा। देयक जिला समन्वयक एवं संबंधित शाला के प्राचार्य द्वारा सत्यापित होना चाहिए। जिन शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में उक्त सामग्री का वितरण किया गया है, उन शालाओं की सूची राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रस्तुत की जाएगी। जिला परियोजना समन्वयक से राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित शालाओं की सूची, सत्यापित देयक,चालान भुगतान हेतु राजा राममोहनराय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकता को भेजे जावेंगें।
- **सामग्री प्रदायकर्ता को देयक का भुगतान नियमानुसार राजा राममोहनराय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकता द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र के माध्यम से किया जावेगा।**

2. **क्रय सामग्री का उपयोग –**

- राजा राममोहन राय पुस्तकालय मैचिंग स्कीम वर्ष 2011–12 के तहत प्रकाशन इकाईयों से प्राप्त पुस्तकों को सुव्यवस्थित रूप से संधारित करने के उद्देश्य से सामग्री प्रदाय की जावेगी।
- उक्त सामग्री की विधिवत स्टॉक पंजी संधारित करने का दायित्व शाला के प्रधानाध्यापक(पुस्तकालय प्रभारी) का होगा। STEEL BOOK CASE में '' वर्ष 2011–12 हेतु प्रतिष्ठान के सहयोग से क्रय की गई सामग्री'' का लेख स्पष्ट रूप से किया जाए।

- जिला परियोजना समन्वयक का यह दायित्व होगा कि पुस्तकालय विकसित हेतु STEEL BOOK CASE प्रदाय की गयी शाला की सूची एवं शालाओं के प्रधानाध्यापक(पुस्तकालय प्रभारी) से इस आशय का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित प्रमाण पत्र लिया जाए कि सामग्री का स्टाक पंजी में इंद्राज किया जा चुका है तथा सामग्री अच्छी स्थिति में प्राप्त हुई है। उपर्युक्त सम्पूर्ण जानकारी तथा प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अपने हस्ताक्षर से राज्य शिक्षा केन्द्र को देयक के साथ 20 फरवरी, 2012 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

27.1.12

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृष्ठा. कमांक/राशिके/पुस्तकालय/2012/1049 भोपाल,दिनांक 28.1.12

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, राजा राममोहनराय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकता की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र